न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर. सी. ढेनवाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 85/2017
प्रविष्टि दिनांक 01.08.2017

बृजमोहन मीणा पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी झुण्डवा तह0 उनियारा जिला–टोंक
बनाम
जिला रसद अधिकारी, जिला ससद कार्यालय टोंक

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 अपील विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी टोंक दिनांक 20–3–2017 प्रकरण सं0 149/2016 राजस्थान राज्य जरिए प्रवर्तन निरीक्षक उनियारा बनाम बृजमोहन मीणा

उपस्थित :- श्रीमति रमा चोधरी अभिभाषक प्रार्थी
श्री धर्मचन्द प्रवर्तन निरीक्षक टोंक पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 8–7–2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनाक 20–3–2017 को जिला रसद अधिकारी टोंक ने अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान झुण्डवा का लाईसेंस निरस्त कर उसकी प्रतिभूमि राशि जप्त किये जाने का आदेश पारित किया है, इस कारण अपीलांट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए कथन किया कि जिला रसद अधिकारी ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया है अपीलान्ट को सुने बिना उक्त आदेश विधि विरूद्व तरीके से पारित किया है अर्थात अपीलान्ट का लाईसेंस निरस्त करने से पूर्व युक्तियुक्त अवसर देना चाहिये था उक्त प्रावधान आज्ञापक प्रावधान है जिसकी पालना जिला रसद अधिकारी द्वारा नहीं की गई है। जिला सरद अधिकारी द्वारा ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत जाकर उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट पर जो आरोप लगाये गये हैं वह साबित नहीं हैं, उन आरोपों को साबित भी नही किया गया है। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर मोजूद नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो कि अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप साबित है, उक्त आरोपो को साबित करने के लिए जिला रसद अधिकारी टोंक ने सम्बन्धित प्रवर्तन निरीक्षक को साक्ष्य में तलब नहीं किया है। प्रवर्तन निरीक्षक के बयान उक्त

जिला कलक्टर
टोंक

प्रकरण में लेखबद्व नहीं हुए हैं ओर न ही प्रवर्तन निरीक्षक से जिरह करने का अवसर प्रदान किया गया है। राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 8 व 9 दण्डात्मक धारा है, उक्त धाराओं में अपराध को साबित करने के लिए सन्देह से परे साक्ष्य पेश होनी चाहिये थी, जो पेश नहीं की गई है अपीलान्ट के लाईसेंस को जिला रसद अधिकारी टोंक ने मात्र राजनैतिक दबाव के कारण निरस्त किया है इस कारण भी उक्त आदेश निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथत किया कि अपीलान्ट विगत 5 वर्ष पूर्व घटित दुर्घटना में चोटग्रस्त हो गया था, जिसके कारण वह चलने फिरने में अस्मर्थ था प्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान उसकी पत्नी द्वारा संचालित की जाती थी, जो अपीलान्ट की देख रेख में ही सम्पूर्ण कार्य करती थी। अपीलान्ट द्वारा नियमानुसार स्टाक रजिस्टर तथा वितरण रजिस्टर पेश किये जाते रहे हैं, अपीलान्ट द्वरा नियमानुसार रजिस्टर में संग्रहण किया गया है। प्रार्थी अपीलान्ट ने नियमानुसार राशन समाग्री का समय पर वितरण किया है प्रार्थी ने कभी क़िसी के साथ गाली गलोच व अभद्रता नहीं की है तथा प्राधिकार की शर्त सं0 1,2,5,6,8,11 एंव 17(ग) एंव 18 का उललंघन नही किया है अपने कर्तव्यों में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की है। अपीलान्ट ने हमेशा ही होने वाली जॉच में रेस्पोडेण्ट के अन्य सक्षम अधिकारी का सहयोग किया है तथा गेहूॅ का स्टॉक प्रमाणित नक्शे के अनुसार उचित मूल्य दुकान के अलावा नही किया है। उसके उपरान्त भी विधि विरूद्व तरीके से बिना किसी कारण के दिनांक 20—3—2017 को आदेश पारित कर अपीलान्ट की राशन की दुकान का लाईसेंस निलम्बित करने के बाद निरस्त करने का यह आदेश विधि विरूद्व तरीके से जारी किया गया है, जो निरस्तनीय है।

प्रार्थी को उक्त लाईसेंस निरस्त करने के जानकारी सर्वप्रथम 10—7—2017 को प्राप्त हुई प्रार्थी एक्सीडेण्ट के कारण चलने फिरने में अस्मर्थ था एंव उसकी पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण अपील पेश करने के खर्चे का इन्तेजाम कर अन्दर मियाद पेश की है अपील पेश करने में जानबूझ कर कोई देरी नहीं की, यदि फिर भी देरी को क्षमा किये जाने हेतु पृथक से अपीलांट धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—3—2017 को निरस्त कर अपीलान्ट का लाईसेंस(प्राधिकार पत्र) को प्रभावी रखने का आदेश फरमावें।

राजकीय पेरोकार ने अपीलान्ट की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक उनियारा द्वारा श्री बृजमोहन मीणा उचित मूल्य दुकान झुण्डवा की दिनांक 15—12—2016 व 11—1—2017 को जॉच की गई जिसमें तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलान्ट की उचित मूल्य की दुकान के वाहर मूल्य सूचि तथा स्टाक का प्रर्दशन नहीं किया गया, माह दिसम्वर 15 के वाद का स्टाक रजिस्टर तथ वितरण रजिस्टर जॉच वास्ते प्रस्तुत नहीं किये गये तथा न ही कोई वास्तविक काारण बताया। इस प्रकार जॉच हेतु वॉछित रिकार्ड प्रस्तुत नहीं कर जान बूझ कर सोची समझी रणनीति के तहत जॉच कार्य को बाधित किया है। गेहूॅ के स्टाक का प्रमाणित नक्शे के अनुसार उचित मूल्य दुकान के अलावा अपना स्टाक अन्यत्र भण्डारण करना पाया गया। उपभोक्ताओं के राशनकार्डो में नियममित वितरण नहीं कर गेहूॅ व केरोसीन का गबन पाया गया तथा जॉच कार्य में सहयोग नहीं किया गया ।

जिला कलेक्टर
टोंक

अप्रार्थी को नोटिस तामील होने के बाद भी उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करना यह पुष्टि करता है कि अप्रार्थी को सभी आरोप स्वीकार हैं। इस प्रकार अपीलान्ट ने नियमित वस्तुओं के वितरण में गम्भीर अनियमित्ताए की हैं जो प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लघन है। अतः राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 8 व 9 के तहत प्रदत शक्तियों के अध्याधीन अप्रार्थी डीलर की प्रतिभूति राशि 1000/रूपये जप्त करने हुए उसको जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है वह उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार की बहस को सुना एंव मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन के ज्ञात होता है कि दिनांक 6—12—2016 को ग्रामवसियों की शिकायत पर प्रवर्तन निरीक्षक उनियारा द्वारा दिनांक 15—12—2016 व 11—1—2017 को श्री बृजमोहन मीणा उचित मूल्य दुकानदार ,झुण्डवा तह0 उनियारा की जॉच की गई जॉच में पाया गया कि अपीलान्ट की उचित मूल्य की दुकान के बाहर मूल्य सूचि तथा स्टाक का प्रर्दशन नहीं किया गया, माह दिसम्बर 15 के बाद का स्टाक रजिस्टर तथा वितरण रजिस्टर जॉच वास्ते प्रस्तुत नहीं किये गये तथा न ही कोई वास्तविक कारण बताया। इस प्रकार जॉच हेतु वॉछित रिकार्ड प्रस्तुत नहीं कर जान बूझ कर सोची समझी रणनीति के तहत जॉच कार्य को बाधित किया है। गेहूँ के स्टाक का प्रमाणित नक्शे के अनुसार उचित मूल्य दुकान के अलावा अपना स्टाक अन्यत्र भण्डारण करना पाया गया। उपभोक्ताओं के राशनकार्डों में नियममित वितरण नहीं कर गेहूँ व केरोसीन का गबन पाया गया। अपीलान्ट को नोटिस तामील होने के बाद भी उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करना यह पुष्टि करता है कि अप्रार्थी को सभी आरोप स्वीकार हैं। इस प्रकार अपीलान्ट ने नियमित वस्तुओं के वितरण में गम्भीर अनियमित्ताए की हैं जो प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लघन है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्टस अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 20—3—2017 यथावत रखा जाता है।
निर्णय आज दिनांक 8—7—2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर0सी0ढेनवाल)
जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक